

**न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला – बड़वानी (म.प्र.)**

**आप.प्रक.क्रमांक 100/10
संस्थित दिनांक-25.03.2010**

म.प्र. शासन द्वारा—
खाद्य प्रशासन निरीक्षक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
जिला बड़वानी

—परिवादी

वि रु द्ध

1. विकाश पिता ओमप्रकाश भावसार,
उम्र 24 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 3 जटाशंकरी
चौक, अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.)
2. प्रो. ओमप्रकाश बालाराम
निवासी वार्ड क्र. 3 जटाशंकरी
चौक, अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.)

—आरोपीगण

राज्य तर्फे एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी ।
अभियुक्त तर्फे अभिभाषक — श्री एल.के.जेन ।

—: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 07/12/2016 को घोषित)

- 1— परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध दिनांक 15.10.2009 को दोपहर के लगभग 11:30 बजे वार्ड क्रमांक 3 जटाशंकरी चौक अंजड़ में अपमिश्रित मावे का विक्रय करने के लिये अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा-7(1) सह पठित धारा-16(1) (ए)(I) के अंतर्गत आरोप है।
- 2— प्रकरण में कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है।
- 3— परिवादी का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी, खाद्य निरीक्षक के पद पर बड़वानी जिले में पदस्थ था तथा दिनांक 15.10.2009 को दोपहर 11:30 बजे वह निरीक्षण के लिये अंजड़ पर गया वहां पर उपस्थित व्यक्ति को उसने अपना परिचय पत्र दिखाकर तथा विक्रेता से पूछे जाने पर उसने नाम विकास पिता ओमप्रकाश भावसार उम्र 24 वर्ष, पता वार्ड क्र. 3, 136 शेखर पद अंजड़ बताया। परिवादी ने दुकान पर उपस्थित व्यक्ति निखिलेश पिता ओमप्रकाश उम्र 22 वर्ष पता वार्ड क्र.3, 136 शेखर पद अंजड़ को साक्षी के रूप में लेकर दुकान का निरीक्षण किया तो पाया कि दुकान के मावा, मिठाई, घी आदि खाद्य पदार्थ विक्रय किये जा रहे थे, उसने मावा का नमुना लेने की इच्छा व्यक्त की तथा इसकी सूचना फार्म नम्बर 6 पर दी और प्राप्ति ली। परिवादी ने 1500 ग्राम मावा कीमत रुपये 170 प्रति किलो के हिसाब से क्रय कर जिसका मूल्य रुपये 255/- अदा कर रसीद प्राप्त की तथा उक्त मावे को साफ सुखे स्वच्छ बर्तन में रखकर तीन भागों में प्रत्येक भाग में 500 ग्राम लेकर अच्छे से मिक्स कर 40 बूंदे फार्मलीन डालकर अच्छे से मिलाया तथा इसी तरह दो अन्य भागों में भी किया, फिर तीन साफ फुड ग्रेड पॉलीथीन में भरकर पैक किया तथा नियमानुसार लेबल

बनाकर नमूने के तीनों भागों पर लगाया नमूने के प्रत्येक भाग को ब्राउन पेपर में लपेटकर गोंद की सहायता से चिपकाया, उसके बाद स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी बड़वानी द्वारा प्रदान की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप क्रमांक BRW/RGM/15/09/135117 को नमूने के तीनों भागों पर नीचे से उपर की ओर चिपकाया एवं नमूने के प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर सील चपड़ी की सहायता से नमूने के प्रत्येक भाग पर ब्रास सील लगाई तथा नमूने के प्रत्येक भाग पर विक्रेता और साक्षी के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाए कि आधे ब्राउन पेपर पर तथा आधे पेपर स्लीप पर आए तथा स्वयं भी हस्ताक्षर किए। परिवारी ने फार्म नम्बर 7 की प्रतियां तैयार कर नमूने (हरी स्लीप वाले) के साथ फार्म नम्बर-7 रखकर आउटर कवर में सीलबंद कर नमूने को रजिस्टर्ड पार्सल क्रमांक ए-227, दिनांक 16.10.09 द्वारा लोक विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल म.प्र. भेजा तथा नमूने को सील बंद करने हेतु प्रयुक्त ब्रास सील की छाप संबंधित फार्म नम्बर-7 की प्रति में पृथक रूप से लोक विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल म.प्र. को रजिस्टर्ड रसीद क्रमांक ए-9920 दिनांक 16.10.09 भेजा गया तथा शेष दो भाग संबंधित नमूने के फार्म नम्बर -7 की प्रतियों के साथ पृथक-पृथक सीलबंद कर स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी बड़वानी के कार्यालय में जमा करवाये गये। स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के पत्र के साथ नमूना क्रमांक 15/09 मावा का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जॉच प्रतिवेदन के अनुसार मावा अपमिश्रित होना पाया गया। अतः उसने प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी पदेन उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला बड़वानी के समक्ष लिखित अभियोजन सहमति हेतु प्रस्तुत किया गया तथा उनके द्वारा अपने आदेश क्रमांक खाद्य/2010/90, दिनांक 11.03.2010 के द्वारा लिखित अभियोजन सहमति प्रदान की गई, इसलिये परिवारी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

4- उक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा आरोपीगण पर अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा-7(1) सह पठित धारा-16(1) (ए)(I) का आरोप लगाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक लेख किया गया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी विकास का कथन है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है, कोई सेम्पल नहीं लिया गया था तथा आरोपी ओमप्रकाश का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, उसने कोई मावा विक्रय नहीं किया गया और न ही उसे मावा विक्रय की कोई राशि प्राप्त हुई थी। दोनों आरोपीगण ने बचाव में साक्ष्य देना प्रकट किया, किन्तु किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

5- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

क्या अभियुक्तों ने दिनांक 15.10.2009 को दोपहर के लगभग 11:30 बजे गुरु कृपा दुध डेयरी एवं स्वीट्स पर वार्ड क्रमांक 3 जटाशंकर चौक अंजड़ में अपमिश्रित मावा रखकर उसका विक्रय किया ?

विचारणीय प्रश्न 1 पर सकारण निष्कर्ष -

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवारी आर.जी.मउटा (ब.सा.1) का कथन है कि वह रसायन विज्ञान से स्नातक है, उसने स्वास्थ्य प्राधिकारी के अधीनस्थ रहते हुए निरीक्षक एवं नमूना संग्रह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक तीन माह का किया गया, उसकी नियुक्ति व पदस्थापना कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल म.प्र. के आदेश क्रमांक एक/स्था./12/08/13349, दिनांक 01.10.08 के द्वारा कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला बड़वानी में खाद्य निरीक्षक ग्रेड-2 के पद पर की गई, उसे म.प्र. राज्य पत्र भोपाल दिनांक 26.02.09 में प्रकाशित लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक

ए-19-1-08-17 मेडि -1, भोपाल दिनांक 18.02.09 के खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 9(1) के अंतर्गत सम्पूर्ण म.प्र. के लिये खाद्य निरीक्षक नियुक्त किया गया। उक्त सूचना में उसका क्रमांक 77 पर है, कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक खाद्य/09/62, बड़वानी दिनांक 18.05.09 द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 तथा नियम 1955 के अंतर्गत सम्पूर्ण राजस्व जिला बड़वानी में नमुना कार्य के लिये अधिकृत किया गया।

7— परिव्रादी का यह भी कथन है कि दिनांक 15.10.09 को दोपहर 11:30 बजे अपने निरीक्षण के दौरान अंजड़ स्थित गुरु कृपा दुध डेयरी एवं स्वीट्स पर उपस्थित होकर वहां उपस्थित व्यक्तियों को अपना परिचय पत्र दिखाया और उससे नाम पूछने पर अपना नाम विकास पिता ओमप्रकाश, उम्र 24 वर्ष बताया, उसने दुकान पर उपस्थित व्यक्ति निखिलेश को साक्षी के तौर पर साथ में दुकान का निरीक्षण किया था। दुकान में मावा, मिठाई, घी आदि खाद्य पदार्थ विक्रय किया जा रहा था, उसने उक्त दुकान पर से मावा का नमुना लेने की इच्छा प्रकट की जिसकी सूचना उसने दुकानदार को फार्म नम्बर-6 में दी जो प्रदर्श पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर विकास के हस्ताक्षर हैं जो आरोपी ने उसके सामने किये थे। उसने डेढ़ किलो मावा 170 प्रतिकिलो के हिसाब से क्रय किया था जिसका मूल्य उसने कुल 255/- देकर प्रदर्श पी 2 की रसीद प्राप्त की जिसके ए से ए भाग पर विक्रेता ने हस्ताक्षर किये थे, उसने उक्त मावे के नमुने को साफ बर्तन में रखकर तीन भागों में बाटा था तथा प्रत्येक में 40 बूंदे फॉर्मेलीन की डालकर मिलाया था फिर तीन साफ पौलोथीन में भरकर पैक किया तथा नियमानुसार लेबल लगाकर नमुने पर चस्पा किया था, उसके द्वारा लेबल चार भागों में बनाया था जिसमें से तीन भाग नमुने पर लगाये थे तथा एक लेबल प्रकरण के साथ न्यायालय में पेश किया गया जो प्रदर्श पी 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर विक्रेता ने अपने हस्ताक्षर किये थे। नमुने के प्रत्येक भाग पर ब्राउन पेपर में रखकर गोंद से चिपकाकर पैक किया, उसके बाद स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त पेपर स्लीप क्रमांक बी.आर. डब्ल्यू/आर.जी.एम/15/09/135117 को नमुने के तीनों भोगों पर नीचे से उपर की ओर चिपकाया तथा मोटे सफेद धागे से बांध कर ब्रास सील की सहायता से नमुने के प्रत्येक भाग पर चार-चार ब्रास सील लगायी थी। उसके बाद विक्रेता और साक्षी के नमुनों के तीनों भागों पर ब्राउन पेपर से होते हुए पेपर स्लीप तक होते हुए कास में हस्ताक्षर करवाये तथा इसी प्रकार उसने भी हस्ताक्षर किये थे, उक्त कार्यवाही मौके पर विक्रेता व साक्षी की उपस्थिति में पंचनामा बनाया था जो प्रदर्श पी 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं।

8— परिव्रादी का यह भी कथन है कि उसने उसके पश्चात कार्यालय आकर 6 प्रति में फार्म-7 को तैयार किया था तथा नमुने की हरी स्लीप विभाग के साथ फार्म-7 की एक प्रति रखकर अवटर कवर में सील बंद किया था, फार्म नम्बर 7 की प्रति प्रदर्श पी 5 है जिसके ए से ए भाग पर एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उक्त सीलबंद नमुने को पंजीकृत पार्सल क्रमांक ए-227, दिनांक 16.10.09 को लोक विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोग शाला भोपाल को भेजा था, जिसकी रसीद प्रदर्श पी 7 है तथा फार्म -7 की एक प्रति पृथक से एक लिफाफे में रखकर लोक विश्लेषक खाद्य प्रयोग शाला भोपाल को पंजीकृत डाक रसीद क्रमांक 9920, दिनांक 16.10.09 को भेजा था जिसकी रसीद प्रदर्श पी 7 है, नमुने के शेष दो भागों को फार्म नम्बर-7 की प्रतियों के साथ स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी बड़वानी के कार्यालय में जमा किया था, जमा करने का फार्म प्रदर्श पी 8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला बड़वानी का पत्र क्रमांक 376 दिनांक 08.12.09 का पत्र प्रदर्श पी 9 का प्राप्त हुआ था पत्र के साथ लोक विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोग शाला भोपाल की जॉच रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 की प्राप्त हुई थी जिसमें नमुने को अपमिश्रण होना पाया गया था। उसके द्वारा कार्यालय का पत्र क्रमांक आ.जी.एम.18, दिनांक 02.03.10 को उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला बड़वानी को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 20(1) के तहत अभियोजन सहमति प्रदाय करने हेतु पत्र प्रदर्श पी 11 लिखा था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 11.03.10 को कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला बड़वानी का पत्र

क्रमांक खाद्य/2010/89 प्रदर्श पी 12 का प्राप्त हुआ था। उसके द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद आरोपी विकास पिता ओमप्रकाश भावसार एवं प्रोपराईटर ओमप्रकाश पिता बालाराम के विरुद्ध यह परिवाद प्रस्तुत किया गया।

9— आरोपीगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में परिवादी ने स्वीकार किया है कि गुरु कृपा दूध डेयरी एण्ड स्वीट्स के आसपास, आमने-सामने कई दुकाने तथा पास में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा भी है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उक्त डेयरी जिस स्थान पर वहां पर आवागमन चालू रहता है और काफी लोग इकट्ठा रहते हैं। परिवादी ने स्वीकार किया है कि आसपास के किसी व्यक्ति को इस कार्यवाही में साक्षी नहीं बनाया गया, स्वतः कहा कि उसने निखिलेश पिता ओमप्रकाश भावसार को साक्षी बनाया है जो वहां पर उपस्थित था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उक्त साक्षी स्वतंत्र साक्षी नहीं है, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उक्त साक्षी आरोपीगण की दुकान पर काम नहीं करता है, लेकिन आरोपी विकास के पिता का नाम एवं साक्षी निखिलेश के पिता का नाम मिलता है। साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया है कि उक्त साक्षी ओमप्रकाश का पुत्र है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने स्वतंत्र साक्षियों को बुलाने का प्रयास नहीं किया था, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि मौके पर कोई उपस्थित नहीं हुआ था, जो लोग उपस्थित थे वे कार्यवाही देख रहे थे, उन्हें मौखिक रूप से बुलाया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उनके द्वारा कार्यवाही करते समय दो साक्षियों की उपस्थिति होना आवश्यक है, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि केवल एक साक्षी होना पर्याप्त है तथा नियम में यह भी उल्लेखित है कि स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाना चाहिए।

10— साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने उस दिन केवल गुरु कृपा डेयरी एण्ड स्वीट्स पर ही जांच की थी और 10:30 से 11:30 के बीच में अंजड नगर में अन्य फर्मों को भी ढूंढता रहा, ठीकरी रोड पर किराना की बहुत सारी दुकानें मिलीं किंतु डेयरी नहीं मिली। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह उस दिन विशेष रूप से डेयरी की जांच करने के लिये ही आया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा ठीकरी रोड के भ्रमण करने के बाद नमूना लिया था। वह पहली बार ही नमूना लेने के लिये गुरु कृपा डेयरी एण्ड स्वीट्स पर गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जिस समय वह दुकान पर पहुंचा वहां पर अन्य कोई ग्राहक नहीं था, कार्यवाही करने के दौरान कुछ ग्राहक खरीदारी करने आये थे, जिन्हें उसने साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करने हेतु कहा था, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया था, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा किसी भी संस्थान से नमूना लिया जाता है कि उसके क्रय मूल्य का उनके द्वारा भुगतान किया जाता है और बादमें शासन से उक्त मूल्य का भुगतान प्राप्त कर लेते हैं। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि उसने मावा खरीदी की रसीद परिवाद के साथ पेश नहीं की? साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि मावा खरीदी का मूल्य रुपये 255 अदा किया गया था जिसका बिल प्रदर्श पी 2 परिवाद पत्र के साथ पेश है किया है, जिसे ही, उसने रसीद लिखा है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 4 में बिल का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 2 में विक्रेता उसे नगद भुगतान किया यह नहीं लिखा है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि यदि भुगतान नहीं किया होता तो धनराशि बाकी है, यह लिखा होता। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने मावा खरीदी की धनराशि रुपये 255/- अपने विभाग से उसे प्राप्त होने के संबंध में कोई दस्तावेज विभाग से प्राप्त नहीं किया है।

11— साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि उसे पंचनामा तैयार करने में 10 मिनट का समय लगा था, फार्म नम्बर 6 बनाने में उसे 2 से 3 मिनट लगे थे तथा दुकान का निरीक्षण करने में 10-15 मिनट लगे थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि नुकान का निरीक्षण करने के 10-15 मिनट बाद कार्यवाही प्रारंभ की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि पंचनामा पौने बारह एवं बारह बजे के बीच में बना था, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि 12 बजे के बाद बना था और पंचनामा में उल्लेखित समय फर्म पर उपस्थित होने का समय है, साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 3 के लेबल पर स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उक्त लेबल पर उनके हस्ताक्षर नहीं होते हैं केवल खाद्य निरीक्षक के हस्ताक्षर का प्रावधान है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने दो अन्य लिये गये नमूनों के संबंध में लेबल परिवाद पत्र के साथ पेश नहीं किया है, साक्षी ने स्पष्ट

किया है कि उक्त लेबल सेम्पल पर कार्बन से लगाया जाता है, जिन पर मूल हस्ताक्षर है।

12— साक्षी ने स्पष्ट किया है कि फार्मलीन की बूंदे लगभग डेढ़ से दो साल तक किसी पदार्थ को जॉच योग्य सुरक्षित रख सकती है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जिस समय उसने मावे का नमूना लिया था उस समय मावा ठोस अवस्था में था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने पॉलीथीन में रखकर उसको मिलाया था इसका उल्लेख प्रदर्श पी 4 में नहीं किया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि 40 बूंदे मार्फलीन डालने के बाद भी मावा ठोस अवस्था में ही था तरल अवस्था में नहीं आया था, हल्का सा गीला हो गया था क्योंकि मावे की मात्रा की तुलना में फार्मलीन की मात्रा इतनी अधिक नहीं थी कि वह उसे द्रव्य में बदल दे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने आरोपी नम्बर-2 से कोई नमूना नहीं लिया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि गुरु कृपा दुध डेयरी एण्ड स्वीट्स के मालिक आरोपी नम्बर 2 है क्योंकि प्रोपाईटर है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने विभागीय प्रशिक्षण के अतिरिक्त अलग से कोई पाठ्यक्रम नहीं किया है और डिप्लोमा भी नहीं किया है।

13— साक्षी ने स्वीकार किया है कि मावा गाय, भैंस, बकरी, भेड़ के दुध या इन सब के मिश्रित दुध से भी बनता और दुध देने वाले जानवरों के दुध में वसा का प्रतिशत अलग-अलग होता है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि प्रत्येक जानवर के दुध में मौसम एवं स्थानीय क्षेत्र के अनुसार वसा की मात्रा में परिवर्तन आता है, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रावधानों में प्रत्येक जानवर के दुध में जो वसा का प्रतिशत बताया गया है वह सभी परिस्थितियों में सभी जानवरों पर समान रूप से लागू होता है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 1 का सूचना पत्र उसने आरोपी को दिनांक 02.01.2010 को प्रेषित किया था, लेकिन परिवादी ने सुझाव से इंकार किया है कि प्रदर्श डी 1 का पत्र आरोपीगण को भेजकर उनसे प्रदर्श पी 2 का बिल प्राप्त किया था, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्श पी 2 का बिल मौके पर ही प्राप्त किया था तथा प्रदर्श डी 1 के माध्यम से आरोपीगण ने किससे मावा कय किया था यह जानकारी मांगी गयी थी तथा फार्म नम्बर 6 उसके साथ संलग्न किया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके द्वारा लिया गया मावे का नमूना कंडिका-1102.12 के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही था। साक्षी ने इंकार किया है कि उसने नमूना लेने की कार्यवाही में नियमों का पूर्णरूप से पालन नहीं किया अथवा उसे अंजड क्षेत्र में नमूने लेने के लिये अधिकृत नहीं किया गया था अथवा गुरु कृपा दुध डेयरी एण्ड स्वीट्स से कोई मावा सैंपल हेतु कय नहीं किया था अथवा असत्य परिवाद प्रस्तुत किया है।

14— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिवादी ने स्वयं को नमूना लेने में प्रशिक्षित होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराये है तथा उसका नियुक्ति प्रमाण पत्र भी पेश नहीं किया है तथा अभियोजन की स्वीकृति उपसंचालक प्रशासन द्वारा उचित रूप से ऐसा अपमिश्रण प्रयोग करते हुए नहीं दी गई। लोक विश्लेषक की रिपोर्ट उसे प्राप्त होने के काफी समय पश्चात हस्ताक्षरित की गई है। आरोपी से लिया गया मावा का नमूना प्रतिनिधिक स्वरूप का नहीं है क्योंकि उक्त नमूना उचित प्रकार से मिश्रित नहीं किया गया है तथा परिवादी द्वारा कय किये गये सम्पूर्ण मावे में फॉर्मलीन नहीं मिलाया गया था। सम्पूर्ण मावे में से 1500 ग्राम का नमूना लेना प्रतिनिधिक स्वरूप का नमूना नहीं है तथा नमूने की जॉच प्रयोग शाला द्वारा जिस विधि से की गई है, वह विधि मानक विधि नहीं है, जिस पद्धति से नमूने की जॉच की गई वह पद्धति नियमों में प्रतिपादित नहीं की गई है, उनका यह भी तर्क है कि आरोपी क्रमांक 2 के विरुद्ध इस सम्पूर्ण परिवाद में कोई भी साक्ष्य नहीं है क्योंकि आरोपी क्रमांक 2 नमूने के समय उक्त दुकान पर उपस्थित नहीं था और उससे नमूना भी नहीं लिया था।

15— अपने समर्थन में आरोपी की ओर से न्याय दृष्टांत खाद्य निरीक्षक विरुद्ध श्री कैलाश चंद 2016(1) एफ.ए.सी. 28, खाद्य निरीक्षक विरुद्ध बाबुसिंह 2015 (1) एफ.ए.सी. 252, खाद्य निरीक्षक विरुद्ध रेनु नागपाल 2014 (2) एफ.ए.सी. 225, के.एन. सदानंदन विरुद्ध खाद्य निरीक्षक तथा अन्य 2016 (1) एफ.ए.सी. 211, एन श्री धरन नायर विरुद्ध खाद्य निरीक्षक 2016 (1) एफ.ए.सी. 216, म.प्र. राज्य विरुद्ध रामेश्वर दयाल 2007 (3) एमपीडब्ल्यूएल 105, मुंशीपल कॉर्पोरेशन खंडवा विरुद्ध नरसिंह दास 2000(3) म.प्र.एल.जे.

336, उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध बट्टी 1998 (2) एफ.ए.सी. 18, गेंदालाल विरुद्ध म.प्र. राज्य 1997 (1) एमपीडब्ल्यूएन 175 प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें प्रतिनिधिक स्वरूप नमूना नहीं होना तथा लोक विश्लेषक एवं केन्द्रीय प्रयोग शाला जॉच रिपोर्ट भिन्न होने के आधार पर आरोपी को दोषमुक्त किया गया, लेकिन प्रस्तुत न्याय दृष्टांत तेल और दुध के नमूने से संबंधित तथा यह प्रकरण मावा के नमूने से संबंधित है, इस प्रकरण में केन्द्रीय प्रयोग शाला एवं लोक विश्लेषक दोनों ने ही परिवादी द्वारा लिया गया मावा का नमूना अपमिश्रित पाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों में भिन्नता होने के कारण आरोपी को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती।

16— आरोपी की ओर से अपने समर्थन में न्याय दृष्टांत बैजामीन चण्डी तथा अन्य विरुद्ध खाद्य निरीक्षक तथा अन्य 2016 (1) एफ.ए.सी. 2013, एन. श्रीधरण नायर विरुद्ध खाद्य निरीक्षक तथा अन्य 2016 (1) एफ.ए.सी. 2016, म.प्र. राज्य विरुद्ध उमाशंकर 2007 (2) एमएफडब्ल्यूएन 10, म.प्र. राज्य विरुद्ध कृष्णदास 1989 (2) एमएफडब्ल्यूएन 198, भैरोसिंह विरुद्ध म.प्र. राज्य 1998 (2) एमएफडब्ल्यूएन 198, गुजरात राज्य विरुद्ध जसवंतलाल पटेल तथा अन्य 2008 (2) एफ.ए.सी. 20, गुजरात राज्य विरुद्ध उत्तमचंद शाह तथा अन्य 2007 (2) एफ.ए.सी. 337 प्रस्तुत किये हैं, जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि लोक विश्लेषक द्वारा अपने प्रतिवेदन की जॉच के दिन ही हस्ताक्षरित नहीं किया गया इस कारण अभियुक्त विचारण के प्रारंभ में ही दोषमुक्त या उन्मोचित किये जाना है। इस मामले में यद्यपि लोक विश्लेषक की जॉच रिपोर्ट पर उसके द्वारा हस्ताक्षर बाद में किये गये हैं, लेकिन आरोपी द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत नमूने के दूसरे प्रयोग की जॉच केन्द्रीय प्रयोग शाला से तथा उक्त जॉच प्रतिवेदन में मावा का नमूना अपमिश्रित होना पाया गया। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय प्रयोग शाला द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर यह विचारण हो रहा है तथा केन्द्रीय प्रयोग शाला के प्रतिवेदन के पश्चात लोक विश्लेषक की जॉच रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं रह जाता है। न्याय दृष्टांत नंदलाल विरुद्ध म.प्र.राज्य 2000 (1) एम.पी.एच.टी. 401 में यह अवधारित किया गया है कि लोक विश्लेषक एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला के निदेशक के प्रतिवेदन में अंतर आने पर निदेशक की जॉच को वरीता दी जायेगी तथा लोक विश्लेषक का प्रतिवेदन प्रभावशील माना जायेगा।

17— आरोपी के अधिवक्ता ने अपने समर्थन में न्याय दृष्टांत म.प्र. राज्य विरुद्ध तुलसीराम 1970 जे.एल.जे. 572 प्रस्तुत किया है, लेकिन उक्त न्याय दृष्टांत दुध के नमूने के संबंध में तथा आरोपी के अधिवक्ता का न्याय दृष्टांत पेप्सीको इंडिया प्राईवेट लिमिटेड विरुद्ध खाद्य निरीक्षक व अन्य 2010 (2) एफ.ए.सी. 310 पेश किये गये हैं, लेकिन उक्त न्याय दृष्टांत बोतल बंद पेय पदार्थ में Carbofuran की उपस्थिति के संबंध में तथा उक्त पेय पदार्थों के नमूने लेने की प्रक्रिया एवं कंपनी द्वारा किये गये अपराधों के संबंध में है तथा उक्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न हैं।

18— आरोपी के अधिवक्ता ने परिवादी आर.जी. मउटा द्वारा खाद्य निरीक्षक के पद पर विधिवत नियुक्ति नहीं होना और उसके द्वारा कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने के संबंध में आपत्ति ली है, लेकिन परिवादी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह स्पष्ट कर दिया है कि उसे उसकी नियुक्ति एवं पदस्थापना खाद्य औषधि प्रशासन के आदेश द्वारा की गई है तथा उसने विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आरोपी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में परिवादी के उक्त कथनों का कोई खण्डन नहीं किया है। आरोपी की ओर से ऐसी कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि परिवादी की नियुक्ति विधिवत रूप से नहीं हुई है अथवा उसने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। परिवादी ने अपनी नियुक्ति के संबंध में कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन की अनुमति आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें परिवादी का नाम है तथा लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना दिनांक 18 फरवरी 2009 का म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति पेश की है जिसमें क्रमांक 77 परिवादी का नाम है तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 (7) के प्रावधान के अनुसार न्यायालय किसी लोक सेवक को नियुक्ति के संबंध में न्ययिक अपेक्षा करेगा तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 के अपवाद क्रमांक 1 के अनुसार जब किसी विशिष्ट व्यक्ति ने लोक ऑफिसर के रूप में कार्य किया है तब उस लेख पर जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया साबित करना आवश्यक नहीं है।

ऐसी स्थिति में आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा किये गये तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

19— आरोपी के अधिवक्ता ने परिवादी द्वारा लिये गये नमूने का प्रतिनिधिक स्वरूप का नहीं होने के संबंध में तर्क है, लेकिन आरोपी के अधिवक्ता ने परिवादी से प्रतिपरीक्षण के दौरान उसे यह सुझाव नहीं दिया कि जिस मावे की दुकान से उसने 1500 ग्राम मावा खरीदकर उसका नमूना लिया उक्त दुकान में मावे की मात्रा कितनी थी तथा यहां तक कि साक्षी को यह सुझाव भी नहीं दिया गया कि उसके द्वारा लिया गया नमूना प्रतिनिधिक स्वरूप का नहीं था। ऐसी स्थिति में आरोपी की ओर से प्रस्तुत तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है। आरोपी के अधिवक्ता ने नमूने की जाँच की प्रक्रिया को भी सही नहीं होना बताया है तथा केन्द्रीय प्रयोग शाला द्वारा दी गई जाँच रिपोर्ट दिनांक 19.05.2010 में अपनाई गई विधि (DGHS) अर्थात् *diretorate General Of Health Services* को मानक विधि नहीं होना बताया है, लेकिन इस मामले में आरोपी के निवेदन पर नमूने के दूसरे भाग की जाँच न्यायालय द्वारा कराई गई तथा उक्त प्रतिवेदन इस न्यायालय को दिनांक 19.05.2010 को केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा भेजा गया था जिसकी एक प्रतिलिपि आरोपी को भी प्रदान की गई है तथा उसके पश्चात अंतिम तर्क के पूर्व आरोपी और उसके अधिवक्ता ने कभी भी नमूने की जाँच को भी चुनोती नहीं दी, ना ही इस संबंध में कोई आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में मात्र तर्क के आधार पर केन्द्रीय प्रयोग शाला द्वारा की गई नमूने की जाँच विधि को उचित नहीं होना नहीं माना जा सकता तथा आरोपी की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्क स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं है। आरोपीगण की ओर से अभियोजन की स्वीकृति को भी उचित रूप से दिया जाना नहीं बताया गया है, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी ने उप संचालक खाद्य औषधि प्रशासन से आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रस्तुत करने के लिये प्रदर्श पी 11 का पत्र भेजा था जिसके आधार पर उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला बड़वानी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध प्रदर्श पी 12 का अभियोजन स्वीकृति खाद्य औषधि निवारण अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत प्रदान की गई थी तथा उक्त अभियोजन की स्वीकृति को देखने से स्पष्ट होता है कि उक्त स्वीकृति स्पष्ट रूप से आरोपीगण के संबंध में अपमिश्रित मावा के लिये प्रदान की गई तथा उक्त अनुमति उप संचालक द्वारा अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर प्रदान की गई है, जिसमें आरोपीगण के नाम, दुकान का नाम तथा नमूने लिये गये वस्तु का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। ऐसी स्थिति में केवल उप संचालक के कथन अभियोजन स्वीकृति के संबंध में नहीं कराये जाने मात्र से उक्त अभियोजन स्वीकृति दूषित नहीं हो जाती है। प्रदर्श पी 11 एवं प्रदर्श पी 12 के दस्तावेजों के खण्डन में आरोपीगण की ओर से ऐसे कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिसमें उक्त अभियोजन सहमति उचित प्रकार से प्रदान नहीं की गई यह प्रमाणित हो सके।

20— परिवादी ने स्वयं को खाद्य निरीक्षक के रूप में बड़वानी जिले के लिये नियुक्त होना, प्रशिक्षण प्राप्त करना और नमूने लेने के लिये अधिकृत होना स्पष्ट रूप से बताया है जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। परिवादी ने उक्त दिनांक 15.10.2009 को आरोपी विकास से 1500 ग्राम नमूना विधिवत रूप से क़य किया था और नमूने के लिये मावा क़य करने की सूचना आरोपी विकास को प्रदर्श पी 1 के फार्म नम्बर 6 में प्रदान की थी जिसके ए से ए भाग पर विक्रेता के रूप में आरोपी विकास के हस्ताक्षर परिवादी ने प्रमाणित किया है तथा उक्त नमूने 3 भागों में बाटकर प्रत्येक नमूने में 40 बूंद फॉर्मलीन मिला लेने और नमूने को विधिवत कार्यवाही करने के संबंध में पंचनामा प्रदर्श पी 4 का प्रमाणित किया है। आरोपी विकास की ओर से उक्त पंचनामे और फार्म नम्बर 6 तथा लेबल प्रदर्श पी 3 को अपने हस्ताक्षरों से इंकार नहीं किया है उक्त नमूने को विधिवत लेकर परिवादी ने उसकी जाँच के लिये लोक विश्लेषक भोपाल को अगले ही दिन पंजीकृत पार्सल डाक से प्रस्तुत किया था जिसके संबंध में लोक विश्लेषक की जाँच रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 को परिवादी ने प्रमाणित किया है जिसके पश्चात परिवादी ने आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 11 के माध्यम से उप संचालक खाद्य औषधि प्रशासन से प्रदर्श पी 12 की प्रदान की गई जिसका भी कोई खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। नमूने की दूसरे भाग की जाँच आरोपीगण द्वारा करवाये जाने पर उक्त जाँच रिपोर्ट केन्द्रीय प्रयोग शाला गाजियाबाद से

न्यायालय को प्राप्त हुई जिसमें भी आरोपी विकास से लिया गया मावा का नमूना अपमिश्रित होना पाया गया। परिवादी ने आरोपी विकास से लिये गये नमूने को कय करने के संबंध में प्रदर्श पी 2 का बिल भी प्रस्तुत किया है जिसका भी कोई खण्डन आरोपीगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है।

21— परिवादी एक लोक सेवक तथा उसका आरोपीगण से कोई रंजिश होना बचाव पक्ष की ओर से प्रमाणित नहीं की गई है, ना ही परिवादी द्वारा की गई कार्यवाही को अवैधता के संबंध में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के प्रावधान अनुसार यह उपधारणा की जा सकती है कि परिवादी द्वारा किया गया कार्य उचित रूप से पदीय कर्तव्य के निष्पादन में किया गया। इस प्रकार परिवादी की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि आरोपी विकास ने दिनांक 15.10.2009 को गुरु कृपा दुध डेयरी स्वीट्स अंजड़ में दिन के लगभग 11:30 बजे अपमिश्रित मावे का विक्रय करने के आशय से अपने आधिपत्य में रखकर उसका विक्रय किया जो कि उसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा धारा-7(1) सह पठित धारा-16(1)(ए)(I) का अपराध जो परिवादी प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी विकास पिता ओमप्रकाश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा-7(1) सह पठित धारा-16(1)(ए)(I) के अपराध में दोषी ठहराता है।

22— जहां आरोपी ओमप्रकाश पिता बालाराम का प्रश्न है तो परिवादी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आरोपी ओमप्रकाश पिता बालाराम द्वारा भी उक्त अपमिश्रण मावा का विक्रय करने के आशय से रखा गया था। परिवादी की ओर से ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उक्त आरोपी ओमप्रकाश गुरु कृपा दुध डेयरी स्वीट्स के मालिक/प्रोपाईटर/आरोपी विकास के नियोक्ता होकर आरोपी विकास द्वारा किये गये उक्त अपराध के लिये उत्तरदायी है। जहां तक परिवादी द्वारा उक्त संस्थान गुरु कृपा दुध डेयरी स्वीट्स के आरोपी ओमप्रकाश प्रोपाईटर या मालिक होने के संबंध में न्यायालय में कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी ओमप्रकाश पिता बालाराम के विरुद्ध कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः यह न्यायालय आरोपी ओमप्रकाश पिता बालाराम को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा-7(1) सह पठित धारा-16(1)(ए)(I) से दोषमुक्त घोषित करता है।

23— आरोपी ओमप्रकाश के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

24— इस प्रकरण में आरोपी विकास की आयु अपराध किये जाने के समय लगभग 24 वर्ष होना बतायी गई है तथा अधिनियम की धारा-20(क क) के प्रावधान अनुसार अपराधी परीविक्षा अधिनियम या दं.प्र.सं. की धारा 360 के प्रावधान 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जिस सजा के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती वंदनाराज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

पुनश्च:

25— सजा के प्रश्न पर अभियुक्त और उसके विद्वान अधिवक्ता श्री एल.के.जैन को सुना गया। उन्होंने निवेदन किया कि आरोपी का कोई अपराधिक आशय नहीं था तथा आरोपी की कम आयु को तथा यह देखते हुए कि वह विचारण का काफी समय से सामना कर रहा है, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

26— यह सही है कि आरोपी काफी लंबे समय से विचारण का सामना कर रहा है, लेकिन विचारण में विलंब स्वयं आरोपी द्वारा ही कारित किया गया है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत किये गये अपराधों के लिये अपराधिक आशय का होना आवश्यक

नहीं है तथा उक्त अपराध न्यूनतम सजा का भी प्रावधान है। अतः यह न्यायालय आरोपी विकाश पिता ओमप्रकाश, उम्र 24 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 3 जटाशंकरी चौक, अंजड़ को धारा-7(1) सह पठित धारा-16(1)(ए)(I) के अपराध में दोषी ठहराते हुए छः माह के सश्रम कारावास तथा रुपये 1,000/- के अर्थदंड से दंडित करता है, अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपी 3 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाए।

27— अभियुक्त अपनी व्यतीत की गई निरोध अवधि को दंप्रसं की धारा 428 के प्रावधानों अनुसार दी गई सजा में से मुजरा कराने का पात्र है, तत्संबंधी निरोध अवधि बाबत धारा 428 दंप्रसं का प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

28— अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

29— निर्णय की एक प्रति अभियुक्त विकास को निःशुल्क प्रदान की जाए।

30— प्रकरण में जप्तशुदा नमुने के 3 भाग मूल्यहीन होने से बाद अपील अवधि अपील नहीं होने पर नियमानुसार नष्ट की जाए, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.